न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली सं :: 40/2025/दावा

हणमान आदि बनाम विजय कुमार आदि

उपस्थितः–1. श्री सांवरमल चौधरी,हरफूल सिंह खीचड़ वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 1–4 एंव 6–10 की ओर से।
2. श्री भागीरथमल जाखड़, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से।

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी।

निर्णय दिनांक :: 15.04.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी/ प्रतिवादी 1–4 ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद सं0 1 में अभिकथन किया कि आराजी ख0नं0 1256 रकबा 0.75 है0 ख0नं0 1255 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 चाह वाके तन रानोली अवस्थित है, जो वादीगण एंव प्रति0सं0 5 ता 11 के खाते, कब्जे, काश्त की भूमि है, जिसमें पुराना ख0नं0 938, 937 थे। वादीगण द्वारा ही आगे वाद की मद सं0 2 में वाद की मद सं0 1 में वर्णित अभिकथनों के असंगत यह अभिकथन किया है कि आराजी ख0नं0 938 में वादीगण का 2/5 हिस्सा है, जिसपर वादीगण काबिज है तथा गैर हिस्सा प्रति0सं0 5 ता 11 का है। वाद की मद सं0 3 में अभिकथन किया है कि उक्त ख0नं0 938 में ख0नं0 937 गै0मु0 चाह महादेव पुत्र दुर्गादत्त द्वारा सार्वजनिक कुंआ ग्रामवासियों के लिए पानी पीने के लिए अपने खर्चो से बनवाया गया था। गै0मु0 चाह पुराना ख0नं0 937 नया ख0नं01255 की खातेदारी सहवन से स्व0 महादेव के नाम से दर्ज है, स्व0 महादेव अब नाऔलाद फौत हो गया है तथा अब उसके कोई वैधानिक वारिस मौजूद नहीं है। वाद की मद सं0 4 व 5 में गै0म0 चाह ख0नं0 1255 को सार्वजनिक कुंआ होना तथा सार्वजनिक उपयोग में काम में आना तथा प्रति0सं0 1 ता 6 द्वारा उक्त कुंए पर जबरदस्ती कब्जे कर निर्माण करने की कार्यवाही करने की कुचेष्टा करने तथा उन्हें ऐसा नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी होने निमित अभिकथन किये गये है। वाद की मद सं0 6 में आराजी ख0नं0 938 का नया ख0नं0 1255 गलत रूप से अंकित करते हुए वादीगण के पिता का उक्त ख0नं0 की भूमि में 2/5 हिस्सा होने तथा प्रति0सं0 7 ता 11 द्वारा वादीगण का हिस्सा अपने नाम अंकित करवा लेने के अभिकथन करते हुए अंत में वाद पत्र की मद सं0 11 की उप धारा क में आराजी ख0नं0 1256 तन रानोली में 2/5 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा वाद पत्र की मद सं0 11 की ही उप मद सं0 ख में प्रति0 सं0 1 ता 6 को आराजी ख0नं0 1256 में निर्मित ख0नं0 1255 में निर्मित ख0नं0 1255 गै0मु0 चाह पर अनाधिकृत कब्जा कर किसी प्रकार का निर्माण करने तथा वादीगण को सार्वजनिक उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

दखलदांजी करने से बाज रहने बाबत अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में किये गये उपरोक्त अभिवचन आपस में ही अंसगत तथा वाद पत्र में वर्णित भूमियों ख0नं0 1255 एंव 1256 तन ग्राम रानोली के राजस्व रिकार्ड एंव नक्शा ट्रेस में अंकित इन्द्राजात से सर्वथा विपरीत है। इसके अलावा वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड एंव विवादित भूमियों के बाबत पूर्व में पारित हुए निर्णय एंव डिक्री की वास्तविक स्थिति को मान0 न्यायालय से छुपाया गया है तथा मान0 न्यायालय से श्रवणाधिकार विहीन तथा अवैध मांग मान0 न्यायालय से करते हुए प्रस्तुत वाद केवल मात्र प्रतिवादीगण को हैरान, परेशान एंव ब्लेकमेल करने की नियत से मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कारण प्रस्तुत वाद वेग आधारों पर प्रस्तुत किया हुआ तथा केवल मात्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर न्यायालय एंव पक्षकारों को धन एंव समय बर्बाद करने वाला मात्र होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है तथा इसी स्तर पर काबिले खारिज है, क्योंकि वादीगण द्वारा गै0मु0 चाह को सार्वजनिक उपयोग का होना तथा भूमि ख0नं0 1256 में बना हुआ होना प्रस्तुत वाद में अभिकथित किया है । परन्तु नक्शा ट्रेस से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि ख0नं0 1255 ख0नं0 1256 में निर्मित नहीं है तथा मान0 न्यायालय को इस तथ्य का श्रवणाधिकार हासिल नहीं है कि कोई संपदा सार्वजनिक उपयोग की है अथवा नहीं। इसके अलावा भूमि ख0नं0 1256 जिसका पुराना ख0नं0 स्वीकृत रूप से 938/1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है, के संबंध में प्रस्तुत वाद के वादीगण हणमान व मदन को प्रति0सं0 3 व 5 के रूप में पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत वाद के वादीगण के अधिवक्ता श्री भागीरथमल जाखड के मार्फत ही मान0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष एक दावा सं0 172/1977 उनवानी चौथमल बनाम शोभा आदि पेश हुआ था। वाद का निस्तारण दिनांक 13.12.1979 को जरिये राजीनामा होकर निर्णय एंव डिक्री पारित की गई तथा भूमि नया ख0नं0 1256 वाली भूमि जिसका पुराना ख0नं0 938/1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है में प्रस्तुत वाद के वादीगण हणमान व मदन की कोई हिस्सेदारी नहीं होना वर्णित हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद वेग अभिकथनों पर आधारित तथा वाद पत्र के अभिकथन आपस में ही असंगत होने तथा वाद पत्र के अभिकथन विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड एंव पूर्व में विवादित भूमियों के बाबत निस्तारित हुई मुकदमें बाजी के विपरित होने के कारण प्रस्तुत वाद केवल मात्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वाला तथा पक्षकारान एंव न्यायालय का क़ीमती समय एंव धन को बर्बाद करने वाला मात्र होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित आवश्यक एंव न्यायसंगत है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र पेश कर वाद वादीगण इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी/वादी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धरा 151 सीपीसी का जवाब पेश निवेदन किया है कि आवेदन पत्र की मद सं0 1 जिस तरह से तहरीर की गई है, स्वीकार नहीं है। वादीगण अप्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा है। मद सं0 2 जिस तरह से तहरीर की गई है गलत होने से स्वीकार नहीं है। ख0नं0 1255 गै0मु0 चाह सार्वजनिक कुंआ है, जो सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में आ रहा है। प्रार्थीगण का इसमें कोई संबंध सरोकार नहीं है। मद सं0 3 गलत होने से स्वीकार नहीं है। ख0नं0 1255 से प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है तथा ख0नं0 1255 गै0मु0 चाह पर प्रार्थीगण को कब्जा कर निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

नहीं है। मद सं0 4 गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में फर्जी राजीनामा के जरिये डिक्री प्राप्त की है, राजीनामें पर प्रार्थी प्रतिवादीगण ने राजीनामें पर फर्जी अंगुठा निशानी बना कर गलत डिक्री प्राप्त की है, जिसकी अप्रार्थीगण ने अपील अधिकारी के यहां अपील कर रखी है। प्रार्थीगण को कानूनी प्रावधानों के तहत आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पत्र लाने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। जवाब आवेंदन पत्र पेश कर आवेदन पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी/वादी ने न्यायिक दृष्टांत 2011(3)डीएनजे राज0 पेज सं0 1066 पेश की।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रति0सं0 1 ता 4 ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को ही दोहराया तथा आवेदन पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज सं0 426, आरआरडी 1994 पेज सं0 720 एंव आरआरडी 1994 पेज सं0 770 पेश की,जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी/वादी ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को गलत होना बताया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड/प्रस्तुत दस्तावेजात एंव आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा रिकॉर्ड पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0नं0 1256 रकबा 0.75 है0 ख0नं0 1255 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 चाह वाके राणोली तह0 दांतारामगढ़,अवस्थित है, जो वादीगण व प्रति0सं0 5 ता 11 के खाते कब्जे, काश्त की भूमि है, जिसके पुराने ख0नं0 938, 937 थे। ख0नं0 938 पुराने में वादीगण का 2/5 हिस्सा है, जिसपर वह काबिज है तथा गैर हि0 प्रति0सं0 5 ता 11 का है। ख0नं0 938 में ख0नं0 937 गैर भू चाह स्व0 महादेव पुत्र दुर्गादत्त द्वारा एक सार्वजनिक कुंआ ग्रामवासियों के लिये पीने के पानी के लिए अपने खर्चो से बनया था इसलिए उक्त गै0मु0 चाह ख0नं0 937 पुराने व नये ख0नं0 1255 की खातेदारी सहवन से स्व0 महादेव के नाम से दर्ज है। स्व0 महादेव अब ना औलाद फौत हो गया है तथा उसके कोई वैधानिक वारिस मौजूद नहीं है। गै0मु0 चाह ख0नं0 1255 सार्वजनिक कुंआ है, जो सदैव से सार्वजनिक पीने के पानी के काम आ रहा है,उस पर कोई व्यक्ति विशेष का आधिपत्य नहीं है। अब प्रति0सं0 1 ता 6 उक्त सार्वजनिक कुंए पर जबरदस्ती कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य करना चाहते है, जिसका उनको कानूनन कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रति0सं0 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये कि सार्वजनिक ख0नं0 1255 पर नाजायज कब्जा करने व किसी प्रकार का निर्माण करने से बाज रहे तथा प्रार्थी/प्रति0सं0 1 ता 4 ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित भूमियों ख0नं0 1255 एंव 1256 तन ग्राम रानोली के राजस्व रिकार्ड एंव नक्शा ट्रेस में अंकित इन्द्राजात से सर्वथा विपरीत है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

रिकार्ड एंव विवादित भूमियों के बाबत पूर्व में पारित हुए निर्णय एंव डिक्री की वास्तविक स्थिति को न्यायालय से छुपाया गया है तथा माननीय न्यायालय से श्रवणाधिकार विहीन तथा अवैध मांग न्यायालय हाजा से करते हुए प्रस्तुत वाद केवल मात्र प्रतिवादीगण को हैरान, परेशान की नियत से पेश किया है। वादीगण द्वारा गै0मु0 चाह को सार्वजनिक उपयोग का होना तथा भूमि ख0नं0 1256 में बना हुआ होना प्रस्तुत वाद में अभिकथित किया है। परन्तु नक्शा ट्रेस से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि ख0नं0 1255 ख0नं0 1256 में निर्मित नहीं है तथा माननीय न्यायालय को इस तथ्य का श्रवणाधिकार हासिल नहीं है कि कोई संपदा सार्वजनिक उपयोग की है अथवा नहीं। साथ ही भूमि ख0नं0 1256 जिसका पुराना ख0नं0 स्वीकृत रूप से 938/1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है, के संबंध में प्रस्तुत वाद के वादीगण हणमान व मदन को प्रति0सं0 3 व 5 के रूप में पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत वाद के वादीगण के अधिवक्ता श्री भागीरथमल जाखड के मार्फत ही मान0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष एक दावा सं0 172/1977 उनवानी चौथमल बनाम शोभा आदि पेश होने पर उसका निस्तारण दिनांक 13.12.1979 को जरिये राजीनामा होकर निर्णय एंव डिक्री पारित की गई तथा भूमि नया ख0नं0 1256 वाली भूमि जिसका पुराना ख0नं0 938/1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है में प्रस्तुत वाद के वादीगण हणमान व मदन की कोई हिस्सेदारी नहीं होना वर्णित हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद वेग अभिकथनों पर आधारित तथा वाद पत्र के अभिकथन आपस में ही असंगत होने तथा वाद पत्र के अभिकथन विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड एंव पूर्व में विवादित भूमियों के बाबत निस्तारित हुई मुकदमें बाजी के विपरित होने के कारण प्रस्तुत वाद केवल मात्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वाला तथा पक्षकारान एंव न्यायालय का कीमती समय एंव धन को बर्बाद करने वाला मात्र होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित आवश्यक एंव न्यायसंगत है।

चूंकि प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमि ख0नं0 1255 कि किस्म जमाबंदी में गै0मु0चाह दर्ज है, खातेदारी महादेव पुत्र दुर्गादत्त हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 नवलगढ़ खातेदार के दर्ज है, जिसके वैधानिक वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। भूमि ख0नं0 1256 कि किस्म जमाबंदी में आबादी दर्ज होने से न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र से बाहर है, साथ ही भूमि ख0नं0 1256 जिसका पुराना ख0नं0 स्वीकृत रूप से 938/1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है, के संबंध में प्रस्तुत वाद के वादीगण हणमान व मदन को प्रति0सं0 3 व 5 के रूप में पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत वाद के वादीगण के अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष पूर्व में एक दावा सं0 172/1977 उनवानी चौथमल बनाम शोभा आदि पेश होने पर उसका निस्तारण दिनांक 13.12.1979 को जरिये राजीनामा होकर निर्णय एंव डिक्री पारित की गई तथा भूमि नया ख0नं0 1256 वाली भूमि जिसका पुराना ख0नं0 938/1 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है में प्रस्तुत वाद के वादीगण हणमान व मदन की कोई हिस्सेदारी नहीं होना राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है, की अपील प्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब अनुसार अप्रार्थीगण ने अपील अधिकारी के

Rahanky
सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

यहां अपील करना बताया है। इस प्रकार वाद श्रवणाधिकार के क्षेत्र से बाहर होने एंव प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन रहने के कथन अंकित किया है परन्तु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने से न्यायालय प्रकरण में सुनवाई किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner